

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
 गौतम नगर, भोपाल - 462021
 दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
 ई-मेल dpimp@sanchanet.in

क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146

भोपाल, दिनांक 09/09/2008

❖ आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2007 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक-4 में दर्शित संस्था में पदस्थ किया जाता है :-

❖ अनारक्षित संवर्ग ❖

स. कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदांकित पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्रीमती अनिता सजावल	शा. क. हाईस्कूल मुकुन्दपुर, सतना	शास उमावि कोटर सतना
2	श्री आर.सी. जेजुरीकर	शा. क. हाईस्कूल गांधी चौक, गंजबासौदा विदिशा	शास. उत्कृष्ट उमावि कुरवाई विदिशा
3	कुमकुम भट्टाचार्य	डाइट सतना	प्रोफार्मा पदोन्नति
4	श्रीमती निर्मला कछवाहा	शा. हाईस्कूल बडखेरा, जबलपुर	शास उमावि खितौला बाजार जबलपुर
5	श्री रजनीश चडडा	शा. हाईस्कूल महाराजपुर पनागर जबलपुर	शास उमावि इंदाना जबलपुर
6	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	शा. हाईस्कूल जावरा, बैतूल	शास. मासोद बैतूल
7	श्री सुरेन्द्र कुमार गुलाब	शा. हाईस्कूल पांजरा, छिंदवाडा	शास उमावि बनाखेडी छिंदवाडा
8	श्री वल्लभ दास लोधी	शा. हाईस्कूल सलेतरा दतिया	शास उमावि उपराय दतिया
9	श्री कपूर सिंह राठौर	शा. हाईस्कूल मउ सानिया छतरपुर	शास उमावि खेराकलां छतरपुर
10	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	शा. हाईस्कूल कुण्डेश्वर, टीकमगढ	शास उमावि असतौन टीकमगढ



11	श्री रामकिशोर चौरसिया	शा. हाईस्कूल नाहरपुरा, छतरपुर	शास उमावि सखई छतरपुर
12	श्री संत स्वरूप शर्मा	शा. हाईस्कूल गुरेमा, मुरैना	शास. उमावि जग्गाकापुरा मुरैना
13	श्री ए.डी. कबीरपंथी	शा. हाईस्कूल कैलवाडा कलां कटनी	शास उमावि हरदुआ कटनी
14	श्री एस.पी. पटेल	शा. हाईस्कूल हीरापुर कौंडिया कटनी	शास उमावि बचईया कटनी
15	श्री एस.पी. मिश्रा	शा. हाईस्कूल खुटहा, सतना	शास उत्कृष्ट उमावि मझगवां सतना
16	श्री बलवीर सिंह धुरारिया	शा. हाईस्कूल बागबई, ग्वालियर	शास उमावि कुलेथ ग्वालियर
17	श्री आर.एन. केवट	पी.जी.बी.टी. जबलपुर	प्रोफार्मा पदोन्नति
18	श्री एस.के. शर्मा	शा. हाईस्कूल बचई, नरसिंहपुर	शास उमावि आमगांव बडा नरसिंहपुर
19	श्री अर्जुन सिंह	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना	शास उमावि धुनवारा सतना
20	श्री राजीव लोचन मिश्रा	शा. हाईस्कूल तिगरा, सीधी	शास उत्कृष्ट उमावि चितरंगी सीधी
21	श्री जी.एल. व्यास	शा. हाईस्कूल सिया, देवास	शास उमावि आगरौद देवास
22	श्री भोगीलाल मिश्रा	शा. हाईस्कूल रजरवार, सतना	शास उमावि गोलहटा सतना
23	श्री शंकरदयाल अवस्थी	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना	शास उमावि रहिकवारा सतना
24	श्री एस.पी. पाण्डेय	शा. हाईस्कूल बर्माडांग, टीकमगढ	शास उमावि दिगौडा टीकमगढ
25	श्री श्रीनिवास बी. सेवढे	शा. हाईस्कूल ठरं विदिशा	शास.उमावि वर्द्धा विदिशा
26	श्री सी.एल. चौरसिया	शा. हाईस्कूल बालक सिंरोज विदिशा	शास. उत्कृष्ट उमावि नटेरन विदिशा
27	श्री विष्णु दत्त नागर	शा. हाईस्कूल घोंसना, उज्जैन	शास बालक नागदा उज्जैन
28	श्री एस.एस. कौशिक	शा. हाईस्कूल ग्यारसपुर, विदिशा	शास. उमावि अटारीखेजडा विदिशा
29	श्री साकेत कुमार गौतम	डाइट सतना	प्रोफार्मा पदोन्नति
30	श्री दत्तात्रेय सोहनी	शा. हाईस्कूल हीरापुर खरगौन	शास उमावि मरदाना खरगौन
31	श्री आर.एस. पाटीदार	शा. कन्या हाईस्कूल रतनगढ, नीमच	शास उमावि नयागांव नीमच
32	श्री घनश्याम दीक्षित	शा. हाईस्कूल खडी, शाजापुर	शास.उमावि खडी शाजापुर
33	डॉ.श्रीमती शशिकलां जैन	डाइट बीजलपुर इंदौर	प्रोफार्मा पदोन्नति
34	श्री चुन्नीलाल पंचौली	शा. हाईस्कूल फतेहबाद, उज्जैन	शास.कन्या उमावि नागदा उज्जैन

35	श्रीमती किरण खरे	शा. हाईस्कूल परदेशीपुरा, खण्डवा	शास. मोतीलाल नेहरू उमावि खण्डवा
36	श्रीमती अंजली शरण मेकेंजी	शा. हाईस्कूल लखनवाडा, सिवनी	शास उमावि टैमनी बालाघाट
37	श्रीमती शशि सक्सेना	डाईट विदिशा	प्रोफार्मा पदोन्नति
38	श्री अमहद हुसैन शाह	शा. हाईस्कूल रूनिजा मंदसौर	शास उमावि सीतामउ मंदसौर
39	श्रीमती रजनी पाण्डे	शा. हाईस्कूल भैसानाका, सागर	शास उमावि चांदपुर सागर
40	श्री सुरेश कुमार व्यास	शा. क. हाईस्कूल चंदावनी, टीकमगढ	शास उमावि. निवाडी क. 1, टीकमगढ
41	श्री रमेश कुमार मिश्रा	शा. उमावि. सीनियर बेसिक, टीकमगढ	शास उमावि क्रमांक-2 टीकमगढ
42	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	पीजीबीटी छतरपुर	प्रोफार्मा पदोन्नति
43	ज्योति समेरिया	शा. हाईस्कूल बाबूलदा, मंदसौर	शास. कन्या उमावि भानपुरा मंदसौर
44	श्री तेजमल उडिया	शा. हाईस्कूल चंदवासा, मंदसौर	शास. कन्या उमावि बिगरोह मंदसौर
45	श्री मणिक लाल पाण्डे	शा. हाईस्कूल गिरवारा,, पन्ना	शास. उमावि ककरहटी पन्ना
46	श्रीमती मांडवी विदुआ	शा. क. हाईस्कूल नौलास विदिशा	शास. उमावि लशकरपुरा विदिशा
47	श्रीमती उषा चतुर्वेदी	शा. हाईस्कूल कारी, टीकमगढ	शास क. उमावि खरगापुर टीकमगढ
48	श्री संतोष कुमार शर्मा	शा. कन्या उमावि. अमानगंज, पन्ना	शास. कन्या उमावि अमानगंज पन्ना
49	श्री शील चंद जैन	शा. हाईस्कूल अजनौर, टीकमगढ	शास उमावि. मवई, टीकमगढ
50	कु. विजया जैन	शा. क. हाईस्कूल तेन्दूखेडा, दमोह	शास उत्कृष्ट उमावि तेंदूखेडा दमोह
51	श्री द्वारका प्रसाद सेन	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर	शास उमावि छिरारी सागर
52	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	शा. हाईस्कूल पिपलौदा सागोती, उज्जैन	शास उमावि. ताजपुर उज्जैन
53	श्री नरेन्द्र सिंह राठौर	शा. हाईस्कूल मडावल, रतलाम	शास. उमावि घोसवास रतलाम
54	श्री बी.के. गुप्ता	डाइट, जबलपुर	प्रोफार्मा पदोन्नति

- 2) पदोन्नत प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार यथास्थान रहेगी।
- 3) उक्त आदेश में निम्न वरिष्ठता क्रमांक तक के प्राचार्य हाईस्कूल को पदोन्नत किया गया है :-

Handwritten signature

स. क्र.	प्रवर्ग	वरिष्ठता क्रमांक (प्राचार्य हाईस्कूल वरि. सूची 2007 / व्याख्याता वरि.सूची 2003) एवं दिनांक
1	अनारक्षित	972 / 2394 दिनांक 01.07.85
2	अनुसूचित जाति	1080 / 5425 दिनांक 21.02.91
3	अनुसूचित जनजाति	1564 / 7696 (निर्धारित अर्ह / अनुभव के लोक सेवक उपलब्ध नहीं)

- 4) पदोन्नति उपरांत पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर जो प्राचार्य हाईस्कूल पदोन्नत हो रहे है, वे उक्त उल्लेखित वरिष्ठता क्रमांक के बाद के न हों या उनके विरुद्ध किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण/जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो या ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को अपने प्रस्ताव सहित अवगत करावे। इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
- 5) जिन प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना दूसरे जिले में की गई हैं उन प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आदेश मिलते ही सेवा अभिलेख का सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भारमुक्त किया जाये।
- 6) नव-पदोन्नत प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन पदस्थापना के जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 18.09.2008 तक पदभार ग्रहण करेंगे जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न प्रपत्र-1 अनुसार संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
- 7) नव पदोन्नत प्राचार्यों का प्रशिक्षण अगले दिवस जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर रखा जावेगा। प्रशिक्षण उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-2 अनुसार पदांकित संस्था के लिए भारमुक्त किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दिनांक ही पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक होगी।
- 8) (अ) यदि पदोन्नत प्राचार्य द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो उसे 12 वर्ष बाद मिलने वाली कमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 05 जुलाई 2002/23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा।
(ब) पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्भूत होने तक जो भी पश्चात्वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
- 9) जो प्राचार्य हाईस्कूल, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पदोन्नति पद पर नहीं जाना (परित्याग करना) चाहते है वे प्राचार्य हाईस्कूल लिखित में दो प्रतियों में इस आशय की सूचना दिनांक 18.09.2008 तक अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर संलग्न प्रपत्र-3 अनुसार संबंधित प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इसकी पावती की सूचना देंगे तथा यदि पदस्थापना दूसरे जिले में है तो इसकी सूचना उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जायेगी। पदोन्नति परित्याग सूचना की एक प्रति संचालनालय को भेजी जायेगी। सेवापुस्तिका में इसका प्रमाणीकरण भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित प्राचार्य, हाईस्कूल ने पदोन्नति का परित्याग किया है। तत्पश्चात्




जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 22.09.2008 तक ऐसे प्राचार्य, हाईस्कूल की सूची संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।

- 10) यदि किसी प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना शून्य बजट के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में की गई और वहां प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करायेंगे तथा पदांकन आदेश संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 22.09.2008 तक एकल नस्ती के माध्यम से संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
- 11) पदोन्नति उपरांत निर्धारित दिनांक 18.09.2008 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यदि प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-4 अनुसार दी जायेगी।
- 12) जिन शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से हाईस्कूल स्तर के प्राचार्य पदस्थ हैं वे नवपदोन्नत प्राचार्य, उमावि. के उपस्थित होने पर स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे और वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में पदस्थापना हेतु संलग्न प्रपत्र-5 अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय (स्था-1) म.प्र. को दिनांक 22.09.2008 को प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
- 13) प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र.-21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।
- 14) म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

संलग्न : प्रपत्र 1 से 5 तक।

"प्रशासकीय अनुमोदनानुसार"


(बी.आर. नायडू)

आयुक्त
एवं सह पदेन सचिव
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1147
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 09/09/2008

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
 5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
 6. संबंधित कलेक्टर, जिला म.प्र.।
 7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
 8. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय म.प्र.।
 9. संबंधित संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
 10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
 11. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान म.प्र.।
 12. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला म.प्र.।
 13. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
 14. संबंधीजन म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



आयुक्त

एवं सह पदेन सचिव
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र. /

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146-1147 दिनांक 09.09.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया गया है। संबंधित प्राचार्य उमावि. द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी है।

स. क्र.	लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्राचार्य उमावि. का नाम एवं कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदास्थापना वाली संस्था का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

पृ.क्र. /
प्रतिलिपि :-

दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

क्र./

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146-1147 दिनांक 09.09.2008 के अनुपालन में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाई गई संस्था में पदस्थापना की गई है। उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत पदोन्नत प्राचार्य उमावि. के लिये आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें पदांकित संस्था के लिये दिनांक 19.09.2008 को अपरान्ह में भारमुक्त किया जाता है।

स. क्र.	लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम	नव पदांकित संस्था
1	2	3	4

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

पृ.क्र./
प्रतिलिपि :-

दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र./

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146-1147 दिनांक 09.09.2008 के द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नतियां की गई है। इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को उनके सामने दर्शाये विद्यालय में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था। संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं। अतः लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.09.2009 के अनुक्रम में उपरोक्त प्राचार्य हाईस्कूल का प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नति का आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

स. क्र.	लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम एवं संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

पृ.क्र./

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र./

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146-1147 दिनांक 09.09.2008 के द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है। इस आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक 18.09.2008 तक जो पदोन्नत प्राचार्य, उमावि. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं देंगे तो उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित संस्था में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी है। अतः लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.09.2008 के अनुक्रम में संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया है। संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया गया है।

स. क्र.	लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम एवं संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

पृ.क्र./

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक स्था-1/राज/बी/222/2008/1146-1147 दिनांक 09.09.2008 द्वारा प्राचार्य, हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य, उमावि. के पद पर पदोन्नत किया गया है । इस पदोन्नति आदेश के फलस्वरूप प्राचार्य पद पर पदस्थ निम्नलिखित प्राचार्य (हाईस्कूल) को पदोन्नत प्राचार्य (उ.मा.वि.) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की पदस्थापना का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से शासन से प्राप्त अनुमोदन उपरांत जारी किया जायेगा ।

स.क्र.	प्राचार्य, हाईस्कूल का नाम	कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

पृष्ठा. क्रमांक /
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
3. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
4. संबंधित प्राचार्य, हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ ।
5. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला